तत्काल

संख्या 24/19/2014–पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16/7/2014

आदेश

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

यतः श्री संतोष कुमार के आवेदन दिनांक 9.12.2013, जो संबंधित जन सूचना अधिकारी को दिनांक 17.12.2013 को प्राप्त हुई थी, में बिन्दु संख्या 1–5 में पद्म पुरस्कारों एवं अन्य विषयों से संबंधित सूचनाएँ माँगी गई थी।

2. यतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को संबंधित सूचना समसंख्यक पत्र द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

3. यतः श्री कुमार ने अपने पत्र दिनांक 26.04.2014 एवं 01.05.2014 (दिनांक 10.06.2014 को प्राप्त) में यह अपील की है कि उन्हे उनके आवेदन के आलोक में संबंधित जन सूचना अधिकारी से कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4. श्री कुमार द्वारा दी गई अपील का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार उत्तर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। तथापि उपरोक्त प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न है।

5. तदनुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है। इस अपील का निस्तारण कार्य की अधिकता के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के अंतर्गत 30 दिनों के बाद परन्तु 45 दिनों के अन्दर किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्त

16/7/14

(सतपाल चौहान)
संयुक्त सचिव (प्रशा0)
एवं अपीलीय अधिकारी
दुरभाषः 23093178

श्री सन्तोष कुमार,
पुत्र श्री रामदेव शर्मा,
ग्राम–पोथा, पो0–पोथी,
तहसील–गभाना, जिला–अलीगढ,
उत्तरप्रदेश–202136।

100

Copy to.
SO (IT) for uploading on website.

संख्या 24/19/2014–[illegible]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक JAN 2014

सेवा में,

श्री सन्तोष कुमार,
पुत्र श्री रामदेव शर्मा,
ग्राम–पोथा, पो0–पेाथी,
तहसील–गभाना, जिला–अलीगढ,
उत्तरप्रदेश–202136।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

......

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आवेदन दिनांक 9/12/2013, जो अधोहस्ताक्षरी के पास आवेदन के बिन्दु 1–5 के निस्तारण के लिए अग्रसारित की गई है, के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न हैः

क्रम संख्या	प्रत्युत्तर
1	वर्ष 2014 के लिए पदम पुरस्कारों की प्रकिया अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। अतः सूचना उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है।
2	
3	पदम पुरस्कारों से संबंधित कार्य गृह मंत्रालय में संपन्न होते हैं। पदम पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में किए गए विशिष्ट सेवा के सम्मानार्थ प्रदान किए जाते हैं। पदम पुरस्कारों के लिए अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई पदम पुरस्कार समिति के आगे विचारार्थ रखा जाता है। समिति सभी नामों पर विचार करने के बाद अंतिम रुप से चयनित व्यक्तियों के नाम को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इन नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्वसंध्या पर की जाती है। घोषणा के पूर्व चयनित व्यक्तियों के चरित्र एवं पूर्ववृत की जॉच देश की प्रमुख जॉच एजेंसीयों द्वारा करवाई जाती है।
4	
5	भारत रत्न पुरस्कारों के नियमानुसार इस पुरस्कार से अलंकरण, मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा/सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरुप किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कारों को विनियमित करने वाले नियमानुसार इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अनुशंसा की जाती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन पुरस्कारों के लिए किसी अन्य अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी